

28/03
2025

वकील सायल 3487 मूल 915 न लगी के डफॉल्ट
में धारित किया जा चुका है। अतः महाशय्यत्र
मूल 915 के अभाव में धारित के पापाल है। पत्रावली
के अंतर्गत शुभार होकर नकार के अर्थ ही मूल 915
की पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)